रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML-2005

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 7 सितम्बर, 2005/16 भाद्रपद, 1927

हिमाचल प्रदेश विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 7 सितम्बर, 2005

संख्या एल0एल0आर0-डी (6)-24/2005 लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05-09-2005 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का संख्यांक 17) को

वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक 23 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

2005 का अधिनियम संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम , 2005

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 5 सितम्बर, 2005 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 है ।

(2) यह 14 जुलाई, 2005 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 62 का संशोधन ।

2005 का 12

2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 62 की उप–धारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी व्यौहारी को, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् रजिस्ट्रीकृत हो, अधिनियम के अधीन विनिर्मित माल के विक्रय पर उद्ग्रहणीय कर की किसी भी प्रकार की रियायत का उपभोग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी, यदि ऐसी रियायत की घोषणा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व की गई हो :

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन कर से छूट की रियायत के बदले में, केवल कर के आस्थगित संदाय की प्रसुविधा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञात कर सकेगी जैसी यह उसमें विनिर्दिष्ट करे।" ।

2005 के अध्यादेश संख्यांक 8 का निरसन और व्यावृत्तियां।

3. (1) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 23 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2005

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 5TH SEPTEMBER, 2005)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows: -

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2005. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 14th day of July, 2005.

2. In section 62 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, after sub-section (5), the following provisos shall be added, namely:— Amendment of section 62.

"Provided that the State Government may, by notification, allow any dealer, whether registered before or after the commencement of this Act to avail of any incentive of tax leviable on the sale of manufactured goods under the Act, if such incentive has been declared by the State Government before the commencement of this Act:

Provided further that the State Government may, by notification, in lieu of the incentive of exemption from tax under the preceding proviso, allow only the facility of making deferred payment of tax, subject to such conditions as it may specify therein.".

3. (1) The Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2005 is hereby repealed. Repeal of Ordinance No. 8 of 2005 and savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित